

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1150)/2018/

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 451 दिनांक 04.05.2017 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. नियम-112 के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	अवकाश का विवरण
1	श्रीमती मांगी देवी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलवा, खण्ड राजसमंद (राजसमंद)	1.दिनांक 13.10.17 से 09.02.18 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 2.दिनांक 10.02.18 से 12.10.18 तक 245 दिवस असाधारण अवकाश
2	श्रीमती माया तम्बोली	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कांकरोली राजसमंद	1.दिनांक 13.10.17 से 09.02.18 तक 120 दिवस उपार्जित अवकाश 2.दिनांक 10.02.18 से 12.10.18 तक 245 दिवस असाधारण अवकाश
3	श्रीमती मन्जु कण्डारा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलवा, खण्ड राजसमंद (राजसमंद)	1.दिनांक 12.10.17 से 08.02.18 तक 120 दिवस उपार्जित अवकाश 2.दिनांक 09.02.18 से 11.10.18 तक 245 दिवस असाधारण अवकाश

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1150)/2018/ 4077

दिनांक:- 28/11/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमंद।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमंद जिला राजसमंद।
3. प्रधानाचार्य, श्रीजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट, नाथद्वारा/श्री नाथ एज्युकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, कांकरोली, राजसमंद।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर